



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-पी.आर.एन दक्षिण-द्वितीय/2023/डी-

87

दिनांक: 17.12.2023

SD HOMES पार्टनर 1. श्री गिरधारी डुकिया पुत्र

श्री बालूराम डुकिया 2. श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रतापमल,

भीलाल, जीजोट जिला-नागौर (राजस्थान)

विषय: संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना विधानसभा नगर-ए के भूखण्ड सख्या A-73, A-74 & A-76 क्षेत्रफल 1369.99 वर्गगज (1145.47 व.मी.) का आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2022 को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु किये गये आवेदन अनुसार संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना विधानसभा नगर-ए के भूखण्ड सख्या A-73, A-74 & A-76 क्षेत्रफल 1369.99 वर्गगज (1145.47 व.मी.) स्टील्ट +18.00 मीटर आवासीय ईकाई के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 27.12.2022 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.12.2022 में लिये गये निर्णयानुसार

आवासीय भूखण्ड पर आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक लीजडीड जारी दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये



दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएस - +91-141-2569696 एक्सटेंशन :

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर-302020



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-ए) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राइवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
24. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में 'गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. प्रस्तुत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
29. निर्माणाधीन/निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
30. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
31. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की



सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302015

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - (+91-141-2569696 एक्सटेंशन : सम्बंधित कार्यालय) : फोन : (+91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 15.2/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जॉन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्त अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।

भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 15.5/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

5. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

36. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

37. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथाचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

38. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रीको भवन विनियम की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

39. एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 18.3/रीको भवन विनियम की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"

40. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

41. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

42. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जायें।

43. एकीकृत भवन विनियम, 2020 की धारा 18.4/रीको भवन विनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।

44. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2020/रीको भवन विनियम अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

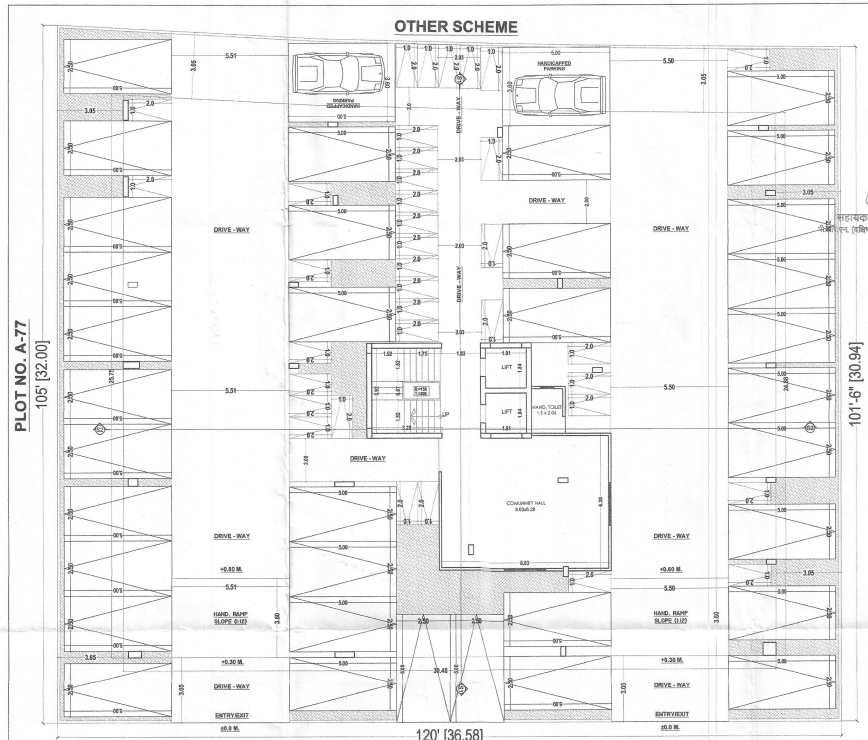
संलग्न:- अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति।



उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

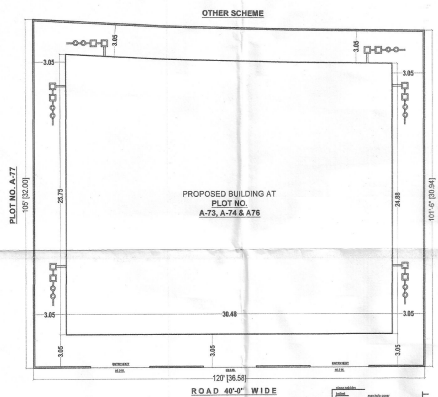
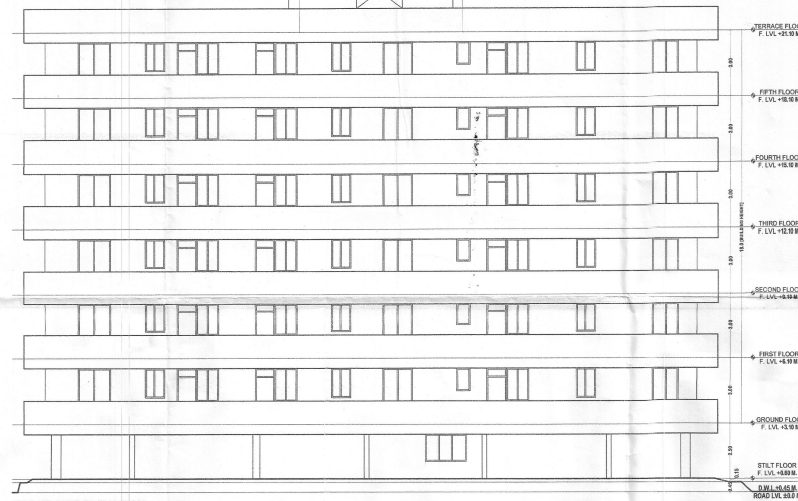
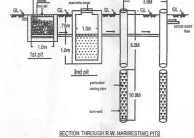
सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



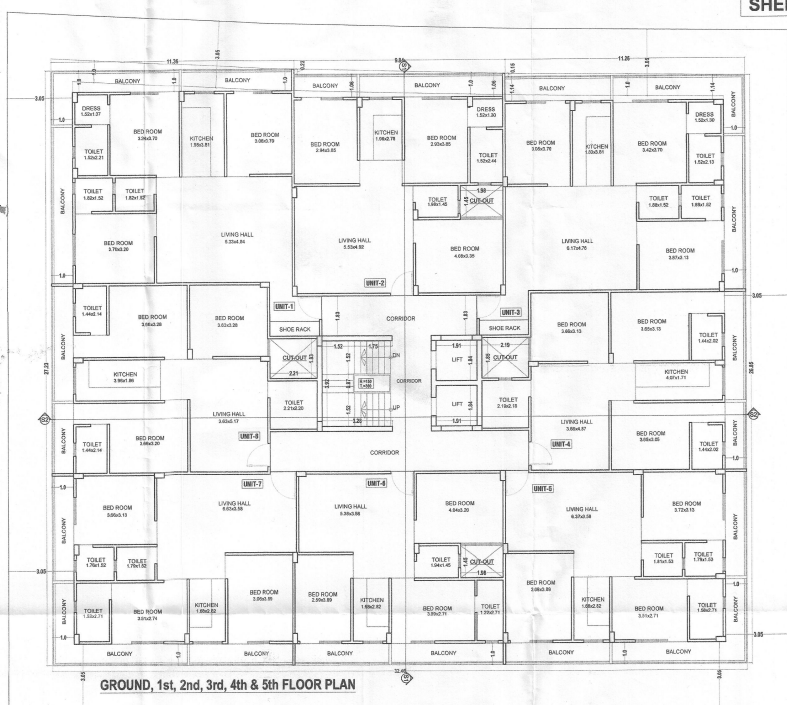
STILT FLOOR PLAN

ROAD 40'-0" WIDE

SITE PLAN & WATER HARVESTING PLAN
(SCALE: 1:200)

गौन स्तरीय सविधि की बैठक दिनांक
22.10.2022 को रखा जाकर भवन मानचित्र
अनुमोदित किया गया।

सहायक नगर निवेशक
विधान-शुभा नगर (विशेष-विशेष) विकास, जयपुर



AREA STATEMENT - RESIDENTIAL BUILDING

S.No.	FLOOR	GROSS BUILT UP AREA A	LIFT+SHAFT OUT-OUT B	BUILT UP AREA (BAR) C = (A-B)
1	STILT FLOOR	877.41	7.03	870.38
2	GROUND FLOOR	877.41	20.85	856.56
3	FIRST FLOOR	877.41	20.85	856.56
4	SECOND FLOOR	877.41	20.85	856.56
5	THIRD FLOOR	877.41	20.85	856.56
6	FOURTH FLOOR	877.41	20.85	856.56
7	FIFTH FLOOR	877.41	20.85	856.56
8	TERRACE FLOOR	33.63	7.03	26.60
	TOTAL	6175.5	138.16	6037.34

S.NO. REFERENCE :-

1. TOTAL PLOT AREA = 1145.47 SQ.M.
2. PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS
3. PROPOSED HEIGHT OF BUILDING = 18.0 M+STILT (2.50 M.)
4. REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) OF PLOT AREA
REQUIRED AREA = 114.547 x 10% = 11.4547 Sq.m.
5. PROPOSED LANDSCAPE AREA = 114.83 Sq.m.
6. RESIDENTIAL
1 ECU PER 115 SQ.M. RESIDENTIAL AREA
= 5192.88 / 115 = 45.16 ECU + 10% VISITOR
= 49.68 ECU (75% CAR, 25% SCOOTER)
= 37.26 ECU = 37 CARS
= 12.41 ECU x 3 = 37 SCOOTERS
7. DWELLING UNITS = 8 UNITS ON ONE FLOOR

TOTAL REQUIRED

= 37 CARS

= 37 SCOOTERS

6. PROVIDED PARKING

SCOOTERS = 37 SCOOTERS ON STILT FLOOR

CARS = 37 CARS ON STILT FLOOR

7. DWELLING UNITS = 8 UNITS ON ONE FLOOR

= 37 CARS

= 37 SCOOTERS

B.A.R. CALCULATION:

PERMISSIBLE B.A.R. = (2/3)

= PLOT AREA x B.A.R.

= 1145.47 x 2/3

= 2290.94 B.A.R.

TOTAL PERMISSIBLE B.A.R. = 2290.94 SQ.M.

PROPOSED BUILT UP AREA COUNTABLE UNDER B.A.R. =

= 5192.88 SQ.M. BUILT UP AREA

PURCHASABLE B.A.R. =

= PROPOSED B.A.R. - PERMISSIBLE B.A.R.

= 5192.88 - 2290.94

= 2901.94 SQ.M.

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. A-73, A-74 & A-76, VIDHAN SHABHA NAGAR-A,
(VILL. BALRAM PURA URF KHEGADO KA BAS), JAIPUR.

SCALE:-

1:100

ARCHITECT:-

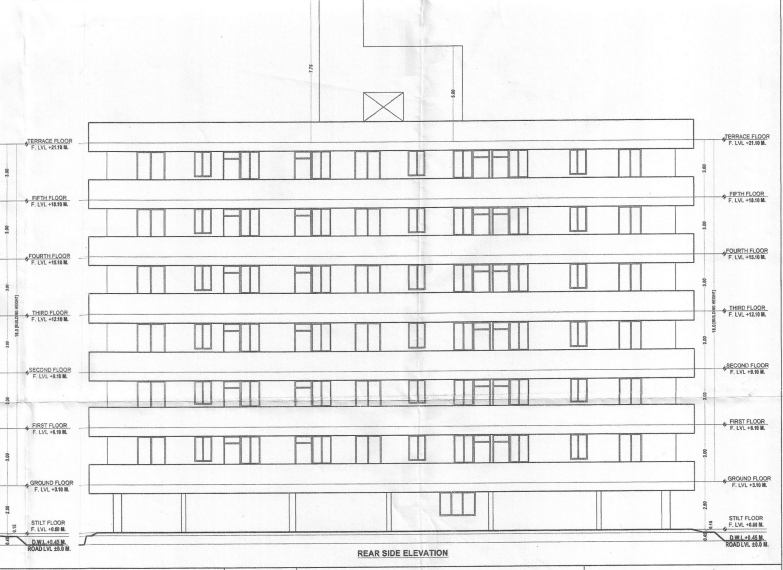
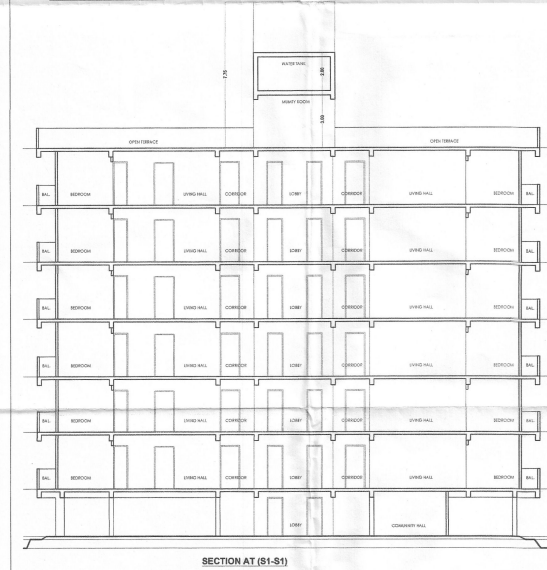
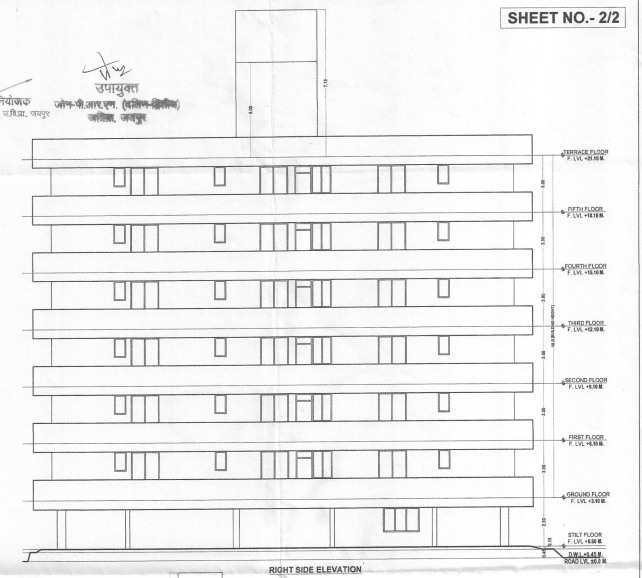
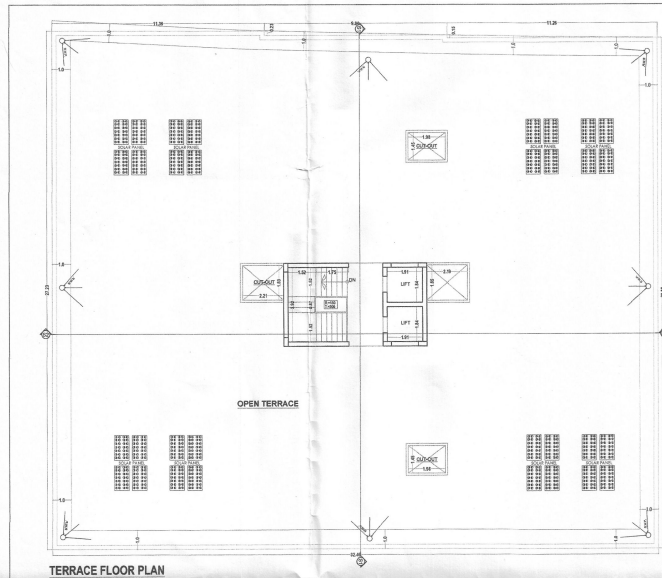
For S D HOMES
Architects
B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG,
BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.
TEL. 9314510603, 0141-4052903

For S D HOMES
Architects
B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG,
BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.
TEL. 9314510603, 0141-4052903

OWNER:-

For S D HOMES
Architects
B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG,
BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.
TEL. 9314510603, 0141-4052903

For S D HOMES
Architects
B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG,
BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.
TEL. 9314510603, 0141-4052903



PROJECT:- **PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. A-73, A-74 & A-76, VIDHAN SHABHA NAGAR-A, (VILL. BALRAMPURA URF KHEGADO KA BAS), JAIPUR.**

SCALE:- **1:100**

ARCHITECT:- **SDH Architecture**
B-4, DANESH NAGAR, MOTI MARG, BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.
TEL. 9314510803, 0141-4062803

OWNER:- **For SDHOMES**
Handwritten signature
Partner

For SDHOMES
Handwritten signature
Partner



GROUND, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th FLOOR PLAN

ROAD 40'-0" WIDE

Unit Type Details											
Total Built Up of the project:			6175.50		Open Area of the Project:		377.47	Total units saleble			48 Flats
Unit No.	Type	Floor	Carpet Area (Sq.Ft.)	Carpet Area (Sq.M.)	Area of Balcony (Sq.Ft.)	Area of Balcony (Sq.M.)	Total Number of Villa/Unit	Built up Area (Sq.Ft.)	Built up Area (Sq.M.)	Super Builtup Area (Sq.Ft.)	Number of Apts. Booked/Sold/ Alloted
101 to 601	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	997	92.62	214	19.88	6	1254	116.50		
102 to 602	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	891	82.78	111	10.31	6	1043	96.90		
103 to 603	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	985	91.51	231	21.46	6	1258	116.87		
104 to 604	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	838	77.85	87	8.08	6	961	89.28		
105 to 605	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	833	77.39	203	18.86	6	1070	99.41		
106 to 606	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	748	69.49	104	9.66	6	892	82.87		
107 to 607	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	833	77.39	202	18.77	6	1070	99.41		
108 to 608	3 BHK	Ground, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th	881	81.85	92	8.55	6	1010	93.83		
TOTAL				650.87		115.57	48		795.06	0	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. A-73, A-74 & A-76,
VIDHAN SHABHA NAGAR-A, (VILL.
BALRAMPURA URF KHEGADO KA BAS),
JAIPUR.

TITLE:-
FLOOR AREA STATEMENT

SCALE:-
DRN BY:-
APPD BY:-

N.T.S.
VJ
AR. SHRAWAN KUMAWAT

NORTH:

S

ARCHITECT:-

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA / 2000 / 2E100

SPACE EDGE ARCHITECTS
B-6, Moti Marg, Bapu Nagar, Jaipur.
Ph.: 0141-4062903 , +91-9314510603
E-Mail: spaceedgejpr@gmail.com